<u>तृतीय काउन्सिलिंग की समय सारिणी</u>

	काउन्सिलिंग स्थल का नाम– राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, तुलसीदास मार्ग, टूड़ियागंज, लखनऊ			
क0 सं0	**आंमत्रित अभ्यर्थी**	**प्रमाण पत्रों का सत्यापन**	**काउन्सिलिंग की तिथि**	**अर्हता सम्बन्धी विवरण**
1	AIAPGET 2018 की मेरिट सूची को अंगीकार करते हुए उ0प्र0 राज्य में अधिकृत वेबसाइट पर तृतीय काउन्सिलिंग हेतु पंजीकृत आयुर्वेद एवं यूनानी विधा के समस्त अभ्यर्थी।	दिनांक 13 नवम्बर 2018 (मंगलवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे से 01:00 बजे अपराह्न तक।	दिनांक 14 नवम्बर 2018 (बुधवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे से 01:00 बजे अपराह्न तक।	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को AIAPGET 2018 में 50 परसेन्टाइल अंक एवं आरक्षित श्रेणी में अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति के अभ्यर्थियों को 40 परसेन्टाइल अंक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का 45 परसेन्टाइल अंक होना अनिवार्य है। केन्द्र एवं राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों को 40 परसेन्टाइल अंक प्राप्त होना अनिवार्य है। अनारक्षित श्रेणी के दिव्यांग 45 परसेन्टाइल अंक तथा आरक्षित श्रेणी के दिव्यांग 40 परसेन्टाइल अंक होना अनिवार्य है।
2	AIAPGET 2018 की मेरिट सूची को अंगीकार करते हुए उ0प्र0 राज्य में अधिकृत वेबसाइट पर तृतीय काउन्सिलिंग हेतु पंजीकृत होम्यौपथिक एवं यूनानी विधा के समस्त अभ्यर्थी	दिनांक 13 नवम्बर 2018 (मंगलवार) को 01:00 बजे अपराह्न से 04:00 सायं बजे तक।	दिनांक 14 नवम्बर 2018 (बुधवार) को 01:00 बजे अपराह्न से	

नोट– यदि आवश्यकता हुई तो मॉप–अप राउण्ड की काउन्सिलिंग दिनाक 15 नवम्बर 2018 को की जायेगी, जिसकी सूचना वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(प्रो0 सुरेश चन्द्र)
अध्यक्ष, यू0पी0पी0जी0 आयुष काउन्सिलिंग/
निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन), उ0प्र0।

ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0–2018 की मेरिट सूची को अंगीकार करते हुए यू0पी0पी0जी0 आयुष तृतीय काउंसिलिंग 2018 (UPPG AYUSH III[rd] Counselling 2018)

सीटों के आवंटन की प्रक्रिया ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0 2018 की परिणाम सूची को अंगीकार करते हुये उ0प्र0 में तृतीय काउंसिलिंग में पंजीकृत अभ्यर्थियों की स्टेट मेरिट रैंक एवं विकल्प के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से की जायेगी। काउन्सिलिंग में अर्हता उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–4809/96–आयुष–1–2018–301–2014 दिनांक 05 नवम्बर 2018 के क्रम में अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंको के परसेन्टाइल के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायगी। काउंसिलिंग में बुलाने मात्र से आवेदक की अर्हता एवं यू0पी0पी0जी0 आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी) 2018 पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने का अधिकार नहीं होगा।

01. काउंसिलिंग हेतु अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना होगा।
02. काउंसिलिंग के समय प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों का विवरण वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध कराया जायेगा।
03. होम्योपैथ विधा के सरकारी महाविद्यालयों में सीटें उपलब्ध होने पर उनकी आवंटन की प्रक्रिया तृतीय काउन्सिलिंग में की जायेगी। उक्त सीटों पर उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आरक्षण सम्बन्धी शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा।
04. यू0पी0पी0जी0 आयुष–2018 में राजकीय क्षेत्र के आयुर्वेद/होम्यौपैथ एवं यूनानी महाविद्यालयों में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध सीटों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आरक्षण सम्बन्धी शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का जाति प्रमाणपत्र दिनांक 31.3.2018 के बाद का निर्गत होने पर ही मान्य होगा।
05. काउंसिलिंग के समय भी अभ्यर्थी का बायोमैट्रिक स्कैन, फोटोग्राफी, फिंगरप्रिंट आदि लिया जायेगा। अभ्यर्थी की अंगुलियों पर किसी भी प्रकार का पेंट, रंग अथवा मेंहदी आदि नहीं लगी होनी चाहिये।
06. काउंसिलिंग में अभ्यर्थी मेरिट सूची में स्टेट मेरिट रैंक के अनुसार उपस्थित होगें तथा उन्हें उपलब्ध विकल्पों में से ही विकल्प चुनना होगा।

अभ्यर्थी निम्नलिखित अभिलेख मूल तथा एक स्वप्रमाणित छायाप्रति की एक प्रति अपने साथ अवश्य लायें।

1– यू0पी0पी0जी0 आयुष 2018 तृतीय काउन्सिलिग में ऑनलाईन पंजीकरण का प्रिण्ट आउट।
2– धरोहर राशि का प्रिंट आउट।
3– ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0 2018 के परसेन्टाइल का स्कोर कार्ड एवं एडमिट कार्ड।
4–अभ्यर्थी क समस्त शैक्षणिक प्रमाण–पत्र (हाई स्कूल अथवा समकक्ष प्रमाणपत्र तथा बी0ए0एम0एस0 अथवा समकक्ष/बी0यू0एम0एस0 अथवा समकक्ष/ बी0एच0एम0एस0 अथवा समकक्ष के समस्त अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।)

5– काउन्सिलिंग की अंतिम तिथि तक इंटर्नशिप पूर्ण होने का प्रमाण पत्र।

6– उ0प्र0 आयुर्वेद यूनानी एवं तिब्बी परिषद लखनऊ में रजिस्ट्रेशन का प्रमाणपत्र। अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को सम्बन्धित प्रदेश में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र (उ0प्र0 में प्रवेश के 01 माह में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा)।

7– ऑन–लाइन आवेदन (AIAPGET–2018) के समय अपलोड किय गए फोटोग्राफ जिस निगेटिव से बने हों, उसी से बने हुए एक फोटोग्राफ।

8– आरक्षित श्रेणी का प्रमाणपत्र (यदि सामान्य श्रेणी के न हों)। **अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र 31.03.2018 के बाद का निर्गत होना चाहिए।**

नोटः– 1. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आवंटन के पश्चात पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लिया गया है अथवा प्रवेश लेने के पश्चात् त्यागपत्र दिया गया है, तो उस अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि पुनः जमा करनी होगी। जिन अभ्यर्थियों को पूर्व की काउन्सिलिंग में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है अथवा आवंटन के उपरान्त सम्बन्धित कालेज में प्रवेश लेकर अध्ययनरत हैं, उनकी धरोहर धनराशि सुरक्षित है।

2. होम्योपैथिक विधा के प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालयों में सीटें उपलब्ध होने पर तृतीय काउन्सिलिंग द्वारा भरी जायेगी।

नोटः– 1. उ0प्र0 राज्य के आरक्षित श्रेणी (अनु0 जाति, अनु0जनजाति एवं अ0पि0 वर्ग) के अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उ0प्र0 की राजकीय क्षेत्र की स्टेट कोटा सीटों के लिए अर्ह होंगें। राजकीय क्षेत्र की अन्य प्रदेश कोटा की समस्त सीटें अनारक्षित श्रेणी की होंगीं। निजी क्षेत्र की समस्त सीटें अनारक्षित श्रेणी की होंगीं।

2. आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी विधा की राजकीय एवं निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों की सीटों पर आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सत्र 2018–19 हेतु मान्यता प्राप्त होने की स्थिति में ही काउन्सिलिंग की जायेगी।

3. आवश्यकतानुसार मॉप अप चक्र की काउन्सिलिंग की सूचना पृथक से वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

4. रिक्त सीटों की अद्यतन स्थिति काउन्सिलिंग से पूर्व अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जायेगी।

(प्रो0 सुरेश चन्द्र)
अध्यक्ष, यू0पी0पी0जी0 आयुष काउन्सिलिंग/
निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन), उ0प्र0।